रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97

REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 8, 1997 (फाल्गुन 17, 1918)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 8, 1997 (PHALGUNA 17, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुंबई-400005, दिनांक 11 फरवरी 1997

सं. आइबीएस- 1282/23-13-060/96-97—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल कर लिया जाए :

ओवरसी-चायनीज बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

जे. आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक

दिनांक 14 फरवरी 1997

विशेष आदेश

सं. 733/09-11-013/97—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत स्पष्टीकरण के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसमें उल्लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :

कि उपर्युक्त प्रयोजन से 'ऋण एवं अग्रिम' शब्दों में वह ऋण अथवा अग्रिम शामिल नहीं होगा जो किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसके व्यक्तिगत उपयोग हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से तथा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों पर कार खरीदने के लिए स्वीकृत किया जाता है।

स्पष्टीकरण

इस आदेश में 'बैंकिंग कम्पनी' में वे सभी बैंक शामिल होंगे जिन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 20 के प्रावधान लागू होते हैं।

जे. आर. प्रभु, कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 8 मार्च 1997

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8)/70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में जनवरी, 1997 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्‌द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों में इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुम्बई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है।

"सूची क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
		9% राहत पत्र 1987 (नई दिल्ली सर्कल)			
डी० एच० 003247	रु० 62,000-	पी० एन० वाही तथा अमर नाथ वाही	कोई ब्याज देय नहीं	अमार नाथ वाही	27-1-97 एल० एन० 21/97
		सरकारी खजाना बिल (मुंबई सर्कल)			
जी० 024744	रु० 75,00,000/-	भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह लि० के नाम में और बरेली कार्पोरेशन बैंक के नाम पृष्ठांकित	लागू नहीं	बरेली कार्पोरेशन बैंक लि० द्वारा दावा किये गये विमोचन मूल्य का भुगतान	2-8-1996

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
		3% परिवर्तन ऋण 1946 (कलकत्ता सर्कल)			
सी० ए० 315090	रु० 5,000/-	मनी मोहन प्रामाणिक (मृत)	64वां तक का अ० वा० ब्याज अदा किया गया	हेमन्त कुमार प्रामाणिक	फाइल सं० I-2505 दिनांक 12-12-96 का महा प्रबंधक का आदेश I दिनांक 1-1-1997 का डी० वाई० सं० एल०सी०ओ० 127/96-97 देखिए।

1	2	3	4	5	6

अहमदाबाद सर्किल

3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण 1946

ए०डी० 003983	900/-	समाहर्ता, भावनगर	16-9-1973	समाहर्ता, भावनगर [निम्नलिखित न्यासों (ट्रस्ट) के न्यासी (ट्रस्टी) की हैसियत से]	खोया हुआ मामला सं० एल०एन०/एस०/311 मु० म० प्र० के दिनांक 1-11-96 के आदेश एवं केन्द्रीय कार्यालय के दिनांक 1-11-96 डायरी सं० 118
ए०डी० 005989	100/-		16-9-1976	1. बासाहब आफ तलाजा	
ए०डी० 007379	200/-		16-3-1977	2. भावसिंहजी चोरासी निधि	
ए०डी 010058	1300/-		16-9-1981	3. नागनाथ महादेव निधि 4. मालनाथ महादेव निधि	

हस्ताक्षर
वि० डी० चौहान
कृते मुख्य महा प्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1996

सं. यू-16/53/93-चि.-2 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए संकल्प के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा बड़ौदा केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. (श्रीमती) के. एस. रजम की सेवाएं एक और वर्ष के लिए 6-12-96 से 5-12-97 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता हूं।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महानिदेशक

दिनांक 30 अक्तूबर 1996

सं. यू-16/53/92-चि.-2 (पश्चिम बंगाल)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए अनुसरण में, मैं इसके द्वारा डा. एस. आर. राय, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी, खिदरपुर चिकित्सा निर्देशी कार्यालय, पश्चिम बंगाल को खिदरपुर क्षेत्र [क्षेत्रों का आवंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महानिदेशक

दिनांक 6 नवम्बर, 1996

सं. यू-16/53/96-चि.-2 (पंजाब)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं इसके द्वारा डा. (श्रीमती) जोगेश सलूजा, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी, चंडीगढ़, पंजाब [क्षेत्रों का आबंटन उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तरी क्षेत्र) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महानिदेशक

दिनांक 8 नवम्बर 1996

सं. यू-16/53/1/95-चि. (महाराष्ट्र)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25-4-51 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में इसके द्वारा मुम्बई के डा. श्री पी. डी. देशपाण्डे, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, उसमें जो भी पहले हो, को चिकित्सा आयुक्त, (पश्चिम क्षेत्र) मुंबई द्वारा निर्धारित साकीनाका/बागले एस्टेट केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल-प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

एस. के. शर्मा, महानिदेशक

दिनांक 29 जनवरी 1997

सं. यू-16/53/91-चिकि.-2 (आन्ध्र प्रदेश) भाग-1—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा डा. एम. श्याम सुन्दर राव, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को हैदराबाद केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण पू. जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. एम. श्याम सुन्दर राव, की सेवाएं एक और वर्ष के लिए (17-1-97 से 16-1-98 तक) या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता हूं।

एस. के. शर्मा, महानिदेशक

दिनांक 5 फरवरी 1997

सं. यू-16/53/91-चि.-2 (तमिलनाडु)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं इसके द्वारा कोयम्बतूर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. के आर. सुब्रमानियम की सेवाएं एक और वर्ष के लिए (24-1-97 से 23-1-98 तक) या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता हूं।

एस. के. शर्मा, महानिदेशक

दिनांक 12 फरवरी 1997

सं. ए-12 (11)-6-87-स्था. 1 (क)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 यथा-संशोधित) की धारा—97 की उप-धारा (2) के खण्ड (21) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा—97 की उपधारा-1 और धारा-17 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सहायक इन्जीनियर के पद के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम भर्ती विनियम, 1977 में आंशिक आशोधन करते हुए, निगम इसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक इन्जीनियर (सिविल) के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सहायक इन्जीनियर (सिविल) (भर्ती) विनियम, 1996 कहे जाएंगे।

2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इनसे संबंधित वेतनमान इन विनियमों के साथ सम्बद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यता :

ऐसा कोई व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन-साथी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा विवाह से व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :

जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और इसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अवशिष्ट मामले :

इन विनियमों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों के तदनुरूपी वर्ग पर लागू, समय-समय पर यथा-संशोधित क. रा. बी. निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में यथा-उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

7. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

अनुसूची

क० रा० बी० निगम में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
सहायक इंजीनियर (सिविल)	02* *(1995) कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकेगा।	ग्रुप "ख" गैर लिपिकीय	2000–60–2300–द० रो०–75–3200–100–3500 रुपये	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7	8
30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की ढील) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख। भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख, मंडवा, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पंगी उप मंडल, अण्डमान व निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित तारीख नहीं)	नहीं	अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष । (ii) 2 वर्ष तक व्यावसायिक अनुभव । टिप्पणी : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में ढील दी जा सकती है । टिप्पणी : (ii) यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता(ओं) में ढील दी जा सकती है ।

क्या सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति वाले अभ्यर्थियों के लिए 29 वर्ष	50— पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । 50— प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (आईएसटीसी) स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका-गठन
12	13

पदोन्नति

1400–2300 रू० के वेतनमान के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)।

टिप्पणी : पदोन्नति के लिए जहां अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हता/पात्रता सेवा में एक वर्ष से अधिक की कमी न हो और अपनी परिवीक्षा अवधि यदि कोई निर्धारित हो, संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन संविदा सहित)/स्थानांतरण

केन्द्रीय/राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अधीन निम्नलिखित अधिकारी

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारी अथवा

(ii) 1640–2900 रू० के अथवा समकक्ष वेतनमान के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा

(iii) 1400–2300 रू० के अथवा समकक्ष वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले और

(ख) कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वाले।

टिप्पणी :

स्थानांतरण पर आमेलन के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही पात्र होंगे।

पदोन्नति की सीधी लाइन में होने वाले फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के हकदार नहीं होंगे।

(इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन संविदा सहित)/स्थानांतरण इस नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

विभागीय पदोन्नति समिति

(पदोन्नति पर विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष
2. निदेशक (प्रशासन) — सदस्य
3. मुख्य इंजीनियर — सदस्य

विभागीय पदोन्नति समिति
(पुष्टि पर विचार करने के लिए)

1. निदेशक (प्रशासन) — अध्यक्ष
2. मुख्य इंजीनियर — सदस्य

टिप्पणी :—सीधी भर्ती वाले की पुष्टि संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी। यदि आयोग द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की पुनः बैठक की जाएगी।

परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
14
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1997

सं. ए-12 (11)-6-87-स्था. 1 (क)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 यथा-संशोधित) की धारा-97 की उप-धारा (2) के खण्ड (21) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा—97 की उपधारा-1 और धारा-17 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सहायक इन्जीनियरी के पद के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम भर्ती विनियम, 1977 में आंशिक आशोधन करते हुए, निगम इसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक इन्जीनियर (इलैक्ट्रिकल) के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सहायक इन्जीनियर (इलैक्ट्रिकल) (भर्ती) विनियम, 1996 कहे जाएंगे ।

2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इनसे संबंधित वेतनमान इन विनियमों के साथ सम्बद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

4. अयोग्यता :

ऐसा कोई व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका जीवन-साथी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन-साथी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी ।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं ।

5. ढील देने की शक्ति :

जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और इसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं ।

6. अवशिष्ट मामले :

इन विनियमों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों के तदनुरूपी वर्ग पर लागू, समय-समय पर यथा-संशोधित क. रा. बी. निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में यथा-उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

7. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

अनुसूची

क० रा० बी० निगम में सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल)	01* *(1995) कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकेगा।	ग्रुप "ख" गैर-लिपिकीय	2000—60—2300—द० रो०—75—3200 100—3500 रुपये	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7	8
30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की ढील) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर का लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पंगी उप-मंडल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित तारीख नहीं)	नहीं	अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष (2) 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव टिप्पणी : (1) अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघलोक सेवा आयोग के विवेकानुसार ढील दी जा सकती है। टिप्पणी : (2) यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता(ओं) में ढील दी जा सकती है।

क्या सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
9	10	11
लागू नहीं	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

12

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन संविदा सहित)

1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के अधीन निम्नलिखित अधिकारी:–

(क) (1) नियमित आधार पर सदृश पदधारी, अथवा

(2) 1640–2900 रु० के अथवा समकक्ष वेतनमान के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले, अथवा

(3) 1400–2300 रु० के अथवा समकक्ष वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले, और

(ख) कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वाले।

2. आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय कनिष्ठ इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) पर भी विभाग इत्यादि के साथ विचार किया जाएगा। पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाने की स्थिति में उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

पदोन्नति की सीधी लाइन में होने वाले फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के हकदार नहीं होंगे।

(इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन संविदा सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन।	परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13	14
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेशक (प्रशासन) .... अध्यक्ष 2. मुख्य इंजीनियर .... सदस्य "टिप्पणी : सीधी भर्ती वाले की पुष्टि संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी। यदि आयोग द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की पुनः बैठक की जाएगी"।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/458—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविय निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बंगलौर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० विशाल एन्टरप्राइजिज, 954–ए, पी०बी० मार्ग, काकटी, बेलगांव–591131	के०एम०/15030	1–11–94 से 31–10–97	2/14/25/के० एन०/डी०एल०आई०
2.	मै० जनरल कन्स्ट्रक्शन कं० मनिपाल हाऊस मनिपाल, कर्नाटक–576119	के०एन०/3557	1–10–93 से 30–9–96	6(8) डी० एल० आई०/के०एन०/96
3.	मै० मनिपाल इंडस्ट्रीज लि०, मनिपाल हाउस, मनिपाल, कर्नाटक–576119 तथा इसकी पांच शाखाएं ।	के०एन०/3555	1–10–93 से 30–9–96	6(9) डी० एल०आई०/के०एन०/96
4.	मै० एन० एस० ए० एम० फस्ट ग्रेड कालेज, निती ।	के एन०/12344	1–1–94 से 31–12–96	6(10) डी० एल० आई०/ के० एन०/96
5.	मै० वस्टर्न रोडवेज केयर ग्राफ मनिपाल इंड० पो० ग्रा० मनिपाल, कर्नाटक–19	के० एन०/3558	1–10–93 से 30–9–96	6(11) डी० एल० आई०/ के० एन०/96
6.	मै० नेपथा रेजिंग एण्ड कमिकल प्रा० लि०, 491, फेस–4, पिनिया इंड० ऐरिया, बंगलौर–58	के० एन०/7258	1–12–94 से 30–11–96	2(19) 95/डी० एल० आई०/के० एन०/95

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड क अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगा जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम-निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. सरदाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग 1/503—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत विस्तार छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) के

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है) । जिसे इसमें पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उसके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की दि० व सं० जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स नरेश कुमार एण्ड कं०, 14 बी, कार्मिक स्ट्रीट, कलकत्ता तथा 19 शाखाएं	प० बं०/11252	2(1959) डी०एल०आई०/छूट/89, पार्ट-1 दि० 24-5-93	30-11-91	1-12-91 से 30-11-94	2(5075) डी० एल० आई०/93

1	2	3	4	5	6	7
2.	मे० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०, 75–सी पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता–16 तथा 3 शाखाएं	प० बं०/ 25173	2(1959) डी०एल०आई०/ छूट/89, पार्ट–1 दि० 17–2–93	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99	2/2239/89 डी०एल०आई०
3.	मै० यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०, 1, मिडल्टन स्ट्रीट, कलकत्ता तथा इसकी सभी शाखाएं ।	प० बं०/ 5216	2/1959/डी०एल०आई०/ छूट/89, पार्ट–1 दि० 21–3–90	24–11–94	25–11–94 से 24–11–97	2(205) डी० एल० आई०/78
4.	मै० ज्वाइंट प्लांट कमेटी 2/7 शरत बोस मार्ग, कलकत्ता, 6 शाखाएं	प० बं०/ 1404	2(1959) डी०एल०आई०/ छूट/89, पार्ट–1 दि० 11–1–92	15–12–95	16–12–95 से 15–12–98	2(1514) डी० एल० आई०/ 86

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. के. भारद्वाज

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.)

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/515—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत विस्तार छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं)। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की दि० व सं० जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल नं०
1.	मै० बनारा इंजीनियरिंग कं० 10, के० एम० स्टोन, अर्टोनी, आगरा-7	यू०पी०/ 13756	2/1959/डी०एल०आई०, छूट/89, पार्ट—1 दि० 24—5—93	30—11—92	1—12—92 से 30—11—95	2(5074) डी० एल० आई०/ यू० पी० /93
2.	मै० भारत फूड इंडिया लि०, उदय सिंह जैन मार्ग, अलीगढ़	यू० पी०/ 15221	2/1959 डी०एल०आई० छूट 89, पार्ट—1, दि० 13—5—93	31—7—92	1—8—92 से 31—7—95	2/5001/ डी० एल० आई०/ यू० पी०/93
3.	मै० यू०पी०/स्टेट टैक्स्टाइल कार्पो लि० सिपिंग मिल्स, नया गांव, झांसी	यू० पी०/ 6740	एस०—35014 (79) 84 एफ०पी०एफ० दि० 17—9—84	16—9—87	17—9—87 से 16—9—90 17—9—90 से 16—9—93 17—9—93 से 16—9—96	15 (6) डी० एल०/आई०/ यू०पी०96
4.	मै० दर्शन एग्रो आयल लि०, उदयसिंह जैन मार्ग, अलीगढ़	यू० पी०/ 16502	2/1959/डी०एल० आई०/ छूट/89 पार्ट—1, दि० 13—5—93	31—1—95	1—2—95 से 31—1—98	2(5008) डी एल० आई०/ यू०पी०/93

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगा जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक/वारिस नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. मरवाह

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दामोदर घाटी निगम

कलकत्ता, दिनांक 24 फरवरी 1997

सं. 15/1/96—दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14 में) की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से दिनांक 28 जनवरी, 1957 की दामोदर घाटी निगम की अधिसूचना संख्या-5 में प्रकाशित दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमों में आगे संशोधन करते हुए निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात :—

1. (1) ये विनियम दामोदर घाटी निगम सेवा (संशोधन विनियम, 1996 कहलाएंगे)।

(2) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमों में :—

(क) विनियम 2 के उपबंध (7) तथा विनियम 8, 14, 22, 268, 89 तथा में :—

(1) शब्द और अंक "श्रेणी-1" के लिए जहां कहीं भी प्रयोग किया गया हो, शब्द व अक्षर "समूह क" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) शब्द और अंक "श्रेणी-2" के लिए जहां कहीं भी प्रयोग किया गया हो, शब्द तथा अक्षर "समूह-ख" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(3) शब्द और अंक "श्रेणी-3" के लिए जहां कहीं भी प्रयोग किया गया हो शब्द व अक्षर "समूह ग" तथा "समूह घ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित विनियम, विनियम-7 की जगह प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

अर्थात् 7(1) नियम के अधीन सेवाएं निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जायेंगी

वर्ग "क"—

पद, जिनका वेतन या अधिकतम वेतन, यदि यह समय-वेतनमान में है, प्रतिमाह 3999/ रु. से अधिक हो;

"समूह-ख"—

"समूह क" में सम्मिलित पदों के अतिरिक्त, ऐसे पद जिनका वेतन या अधिकतम वेतन, यदि यह समय वेतनमान में है, 1990/- रु. प्रतिमाह से अधिक है;

"समूह-ग"—

पद, जिनका वेतन या अधिकतम वेतन, यदि यह समय वेतनमान में है, 1140/- रु. प्रतिमाह से अधिक हो, परन्तु जिसका अधिकतम वेतन 1990/- रु. प्रतिमाह से अधिक न हो;

"समूह-घ"—

पद, जिनका वेतन या वेतनमान अधिकतम 1140/- रु. प्रतिमाह से अधिक न हो।

(2) उप-विनियम (1) में कुछ भी होते हुए, निगम किसी विशेष वर्ग में पदों की कार्य व प्रकृति के अनुसार उस पद के संबद्ध वेतन को ध्यान में रखे बिना कोई भी पद या पदों का समूह सम्मिलित कर सकता है;

(ग) विनियम 10 में—

(1) उप-विनियम (1) में, शब्द व अंक "श्रेणी-3" के लिए, शब्द व अक्षर "समूह-ग" तथा "समूह-घ" में प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) उप-विनियम (3) में—

(क) "समूह-घ" के किसी कर्मचारी के लिए, शब्द व अक्षर "समूह-क" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपबंध (1) के परन्तुक में, शब्द व अंक "2000/- रु." के लिए, शब्द व अंक "5900/- रु." प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपबंध (2) में, शब्द व अंक "श्रेणी-2" के लिए, शब्द में अक्षर "समूह-ख" प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

(घ) विनियम 21 में :—

(1) उपबंधों (क) तथा (ख) के लिए, निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

(क) "समूह-घ" के किसी कर्मचारी के अलावा, प्रत्येक कर्मचारी उस माह की अंतिम तिथि के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा; जिसमें वह 58 वर्ष की आयु पूरी करता है;

परन्तु यह उपबंध ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो दामोदर घाटी निगम सेवाएं (संशोधन) विनियम 1996 के प्रारम्भ होने की तिथि पर निगम के अधीन कार्यरत हैं, जिनके मामले में सेवा निवृत्ति की तिथि उस माह की अंतिम तिथि का अपराह्न होगी, जिसमें वे 60 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, इस शर्त के तहत कि वह 60 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर "समूह-ग" का पद धारित करता है।

(ख) "समूह-घ" का कोई कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह 60 वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है;

(2) उपबंध (घ) में, शब्द व अंक "श्रेणी-1" दोनों ही जगह पर जहां भी ये हैं, के लिए शब्द व अक्षर "समूह-क" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) विनियम 91 में, शब्द व अंक "श्रेणी-2" तथा 3 के लिए शब्द व अक्षर "समूह-ख" "समूह-ग" तथा "समूह-घ" प्रतिस्थापित होंगे।

पं. डी. अस्थाना
अपर सचिव

छावनी परिषद

जम्मू, दिनांक 27 फरवरी 1997

सं. 4/ए/96-97—चूंकि कुछ उप-नियमों का मसौदा छावनी बोर्ड, जम्मू की दिनांक 20 मई, 1996 के सूचना पत्र संख्या 4/ए/96-97 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था जो छावनी अधिनियम, 1924 (1924 के 2) की धारा 284 के अंतर्गत अपेक्षित था ताकि इस पर इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त हो सकें।

चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 20 मई, 1996 को छावनी बोर्ड कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी गई थी।

और चूंकि प्रस्तावित संशोधनों पर किसी प्रकार की आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

और जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपेक्षित है केन्द्रीय सरकार ने उप-नियमों के मसौदे को विधिवत् रूप से अनुमोदित कर दिया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जम्मू छावनी बोर्ड" निम्नलिखित उप-नियम लागू करता है :

1. (लघु शीर्षक व प्रारम्भ) लागू होना :

1. इन उप-नियमों को जम्मू छावनी (भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण) संशोधित उप-नियम 1995 कहा जायेगा।

2. सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही यह लागू हो जायेंगे।

2. (परिभाषाएं) :

इन उप-नियमों में :

(क) सूखा शौचालय वो शौचघर है जिसमें से मल को किसी आदमी द्वारा (हाथ से) अथवा खुली नाली में छोड़कर साफ किया जाये।

(ख) स्वचालित शौचालय वो शौचघर है जिसमें से मल साफ करने के लिए किसी आदमी को न लगाना पड़े व सफाई की सारी प्रक्रिया स्वचालित व पानी पर आधारित हो व सारा मल सीधे किसी भूमिगत सैप्टिक टैंक अथवा मल व्यवस्था में चला जाये।

(ग) तहखाना (बेसमेंट) वो आवास है जो भूमि-तल के नीचे सीधा अथवा समतल बनाया गया हो।

(घ) ऐसे शब्द व अभिव्यक्तियां जो प्रयोग की जा रही हैं व जिन की परिभाषा यहां नहीं दी गई परन्तु जिन्हें छावनी अधिनियम, 1924 में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ व परिभाषा क्रमशः वही रहेंगी जो अधिनियम में दी गई हैं।

3. सूखे शौचघरों के निर्माण पर रोक (निषेध) :

इसके बाद कोई भी व्यक्ति छावनी क्षेत्र में सूखे शौचघर का निर्माण नहीं करेगा। छावनी क्षेत्र में स्थित सभी सूखे शौचघरों को इन उप-नियमों के प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही स्वचालित शौचालयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

4. (जम्मू छावनी) भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण :

उप-नियम 1980 के पैरा 7 (4) में से कृपया निम्नलिखित शब्द निकाल दिए जाएं। "सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पानी का बहाव पर्याप्त नहीं है"।

5. (तहखानों) बेसमैन्टस का निर्माण :

कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में छावनी बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना तहखानों का निर्माण नहीं करेगा। भूमितल से 2.5 मीटर से अधिक गहरे तहखानों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन तहखानों का निर्माण पंजीकृत वास्तुकार अथवा पंजीकृत लोक अभियन्ता अभिकल्पक (सिविल इंजीनियर डिजाइनर) द्वारा प्रमाणित अभिकल्प (डिजाइन) के आधार पर स्टील की समुचित मात्रा के साथ आर. सी. सी. के 1 : 2 : 4 के अनुपात में ही किया जाएगा। इन तहखानों में 20% फर्श को खुला छोड़ते हुए हवादारी (वायु संचालन) की समुचित व्यवस्था की जाए।

6. अर्थ दण्ड/जुर्माना :

यदि कोई व्यक्ति तीन और पांच उप-नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे रुपए 1000.00/- का जुर्माना किया जाएगा व इसके साथ ही साथ ऐसे सूखे शौचघर व तहखानों को ढाए जाने के लिए भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

जे. सी. उपाध्याय
छावनी अधिशासी अधिकारी

प्रमुख अधिसूचना एस. आर. ओ. संख्या 4/ए/80-81 दिनांक 2-8-1980 (डी जी डी ई फाइल संख्या 12/1/सी/डी ई/1996)

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & DEVELOPMENT

Mumbai-400 005, the 11th February 1997

SPECIAL ORDER

No. IBS. 1282/23.13.060/96-97.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :

"Oversea-Chinese Banking Corporation Limited"

J. R. PRABHU
Executive Director

Mumbai-400 005, the 14th February 1997

No. 733/09.11.013/97.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of the Explanation under sub-section (4) of Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and having regard to the considerations referred to therein, the Reserve Bank of India hereby specifies as under :

That for the purposes of the aforesaid Section, the term "loans or advances" shall not include such loans or advances as are granted by a banking company to its Chief Executive Officer, for the purpose of purchasing a car for his personal use, with the prior approval of Reserve Bank of India and on such terms and conditions as may be stipulated by it.

Explanation

In this order "banking company" includes every bank to which provisions of Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) apply.

J. R. PRABHU
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, the 8th March 1997

——In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act. 1944 and published in the Gazette of the 20th Abril, 1946 (as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended January 1997 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exsists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective clamants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B' the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs/Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name (s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		9 % Relief Bonds 1987 (New Delhi—Circle)			
DH-003247	Rs. 62,000/-	P.N. Wahi & Amar Nath Wahi	No interest due	Amar Nath Wahi	LN-1-97 dated 27-1-1997
		Government Tresury (Bills Mumbai— Circle)			
G/024744	Rs. 75 Lakhs	Discount & Finance House of India Ltd. & endorsed to Bareily Corpn. Bank Ltd.	Not applicable	Payment of discharge value claimed by Bareilly Corporation Bank Ltd.	2-8-1996

LIST 'B,

No. of Securtity	Value	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and /or payment of discharge value	No. & date of orders ssued
		3 % Conversion Loan 1946 (Calcutta—Circle)			
CA-315090	Rs. 5000/-	Moni Mohan Pramanick (deceased)	Intt upto 64th half year has been paid	Hemanta Kumar Pramanick	File No. 1-2505, General Manager's order dated 12-12-96 vide Dy. No. LCO 127/96-97 dated 01-01-1997

1	2	3	4	5	6
AHMEDABAD CIRCLE					
3% Conversion Laon 1946					
AD-003983	900/-	The Collctor Bhavnagar	16-9-1973	The Collector Bhavnagar (in the capacity of Trustee of following Trusts)	Lost case No. LN/S/311-Chief Gen. Manager's order dated 1-11-96 and C.O. Diary. No. 118 dated 1-11-96
AD-005989	100/-		16-9-1976	1. Basaheb of Talaja	
AD-007379	200/-		16-3-1977	2. Bhavsinhji Chorsashi Fund	
AD-010058	1300/-		16-9-1981	3. Nagnath Mahadev Fund. 4. Malnath Mahadev Fund.	

(V. D.CHOUHAN)
Chief General Manager.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 8th October 1996

No. U-16/53/93-Med.II (Gujarat).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, I hereby extend the services of Dr. (Mrs.) K. S. Rajam to function as Medical Authority for further one year (w.e.f. 6-12-96 to 5-12-97) or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Baroda centre and the areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) at a monthly remuneration in accordance with existing norms for the purpose of medical examination of Insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 30th October 1996

No. U-16/53/92-Med.II (W.B.).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation, 1950, I htreby authorise Dr. S. R. Roy, P.T.M.R. Kidderpore Medical Referee's Office, West Bengal to function as medical authrity w.e.f. the date he assumes charge for one year or till a Full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for kidderpore centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone) Calcutta for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 6th November 1996

No. U-16/53/96-Med.II(Punjab).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, I hereby authorise Dr. (Mrs.) Jogesh Saluja, P.T.M.R., Chandigarh, Punjab to function as medical authority w.e.f the date she assumes charge for one year or till a Full-Time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Chandigarh centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (North Zone) New Delhi for the purpose of medical examinations of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 8th November 1996

No. U-16/53/1/95-Med.II(Mah.)—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, I hereby authorise Dr. P. D. Deshpande to function as medical authority w.e.f. the date of assume charge for one year or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, in Mumbai for SAKINAKA/WAGLE ESTATE centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (West Zone) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 29th January 1997

No. U-16/53/91-Med.II(A.P.) Co.I.—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, I hereby extend the service of Dr M. Syamasunder Rao to function as Medical Authority for further one year (w.e.f. 17-1-97 to 16-1-98) or till a Full Time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Hyderabad Centre and the areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (South East Zone), at a monthly remuneration in accordance with existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 5th February 1997

No. U-16/53/91-Med.II(T.N.).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, I hereby extend the services of Dr. K. R. Subramaniam, to function as Medical Authority for further one year (w.e.f. 24-1-97 to 23-1-98) or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for coimbatore centre and the areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone), at a monthly remuneration in accordance with existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 12th February 1997

No. A-12(11)-6/87-Estt. I(A).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2-A) of that section and sub-section (2) of section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 as amended) and in partial modification of the Employees' State Insurance Corporation Recruitment Regulations, 1977, in so far as they relate to the post of Asstt. Engineer, the Corporation hereby makes with the approval of Central Govt., the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Employees' State Insurance Corporation, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Assistant Engineer (Civil) (Recruitment) Regulations, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY :

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT, QUALIFICATIONS ETC. :

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. DISQUALIFICATION :

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Director General of the Corporation may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. POWER TO RELAX :

When the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing and after taking the prior approval of the Central Government and in consultation with UPSC, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. RESIDUARY MATTERS :

Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and condition as laid down in the ESI Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 as amended from time to time applicable to the corresponding categories of posts in ESI Corporation, shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. SAVINGS :

Nothing in these regulations, shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBC and other categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

S. K. SHARMA
Director General

THE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay (RS.)	Whether selection or Non-Selection Post	Age limit for Direct Recruits	Whether Benefit of Added Years of Service Admissible	Education & other qualification Reqd. for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Assistant Engineer (civil)	02* *(1995) Subject to variation Dependent on Workload	Group B Non-Ministerial	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Selection	Not Exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar, Islands or Lakshadweep)	No	Essential (1) Degree in civil Engineering from A Recognised University or Equivalent (ii) Two Years. Professional Experience NOTE : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the U. P. S. C. in case of candidates otherwise well qualified. NOTE : 2 The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U. P. S. C. in the case of candidates belonging to Schedule castes and Scheduled Tribes, if at any stage of Selection, the U.P. S. C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the rquisite experience are not likely to be availble to fill up the vacancy reserved for them.

SCHEDULE

ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) IN E.S.I CORPORATION

Whether Age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Rectt. whether by direct Rectt. or by promotion or by deputation/transfer & % of the vacancy to be filled by various methods.	In case of Rectt. by Promotion/Deputation/Transfer, Grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Rectt.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
N.A.	2 years for direct recruits and promotees.	50.00% promotion failing which by transfer on deputation including short term contract.	PROMOTION Junior Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 1400-2300 with eight years' regular service in the grade. NOTE : where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully competed their probation period, if prescribed.	DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (For considering promotion) 1 Chairman/member UPSC—Chairman. 2. Director (Admn.)—Member. 3. Chief Engineer—Member.	Consultation with UPSC necessary on each occasion.
		50.00% transfer on deputation (ISTC)/transfer failing which by direct recruitment.	TRANSFER ON DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT)/TRANSFER Officers under the Central/State Govts./UTs/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies: a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) With three years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalents OR (iii) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; AND b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under coloumn 8. NOTE : Only Central/State Govts/UTs Officers will be eligible for absorption on transfer. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on debutation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation)/(including short-term contract)/transfer shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	DPC (FOR CONSIDERING CONFIRMATION) 1. Director (Admn.) Chairman 2. Chief Engineer —Member NOTE : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commision for approval. If however these are not approved by the Commission afresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held."	

No. A-12(11)-6/87-Estt. I(A).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2-A) of that section and sub-section (2) of section 97 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 as amended) and in partial modification of the Employees' State Insurance Corporation Recruitment Regulations, 1977, in so far as they relate to the post of Asstt. Engineer, the Corporation hereby makes with the approval of Central Govt., the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical) in the Employees' State Insurance Corporation, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT .

(i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Assistant Engineer (Electrical) (Recruitment) Regulations, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY :

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulation.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT, QUALIFICATIONS ETC. :

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. DISQUALIFICATION :

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said person,

Provided that the Director General of the Corporation may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. POWER TO RELAX :

When the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after taking the prior approval of the Central Government and in consultation with UPSC, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. RESIDUARY MATTERS :

Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and condition's as laid down in the ESI Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 as amended from time to time applicable to the corresponding categories of posts in ESI Corporation, shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. SAVINGS :

Nothing in these regulations, shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBC and other categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

S. K. SHARMA
Director General

THE SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL) IN E.S.I. CORPORATION

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	whether benefit of added years of service admissible	Educational & other Qualification reqd. for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Assistant Engineer (electrical)	01* *(1995) subject to variation dependent on workload.	Group-B Non-ministerial	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	N.A.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) NOTE : The crucial date for determing the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J. & K. State Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh Andaman & Nikobar Islands or Lakshadweep).	N.A.	ESSENTIAL (i) Degree in Electrical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) Two years' professional experience. NOTE : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. NOTE :2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

THE SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (ELECTRICAL) IN E.S.I. CORPORATION

Whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of Rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer & % of the vacancy to be filled by various methods	In case of Rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Rectt.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
N.A.	2 years for direct recruits and promotees	Promotion/ Transfer on deputation including short term contract) failing which by direct recruitment.	**PROMOTION/TRANSFER ON DEPUTATION (INCLUDING (SHORT TERM CONTRACT)** 1. Officers under the Central/State Govts/UTs/Public Sector Undertakings/Autonomous organisations; (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; Or (ii) With three years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent: Or (iii) With eight years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent: And (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under coloumn 8. 2. The departmental Junior Engineer (Electrical) with eight years' regular service shall also be considered alongwith outsiders. In case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same for some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation)/(including short-term contract)/transfer shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)	**DPC FOR CONSIDERING CONFIRMATION** 1. Director (Admn.) ..Chairman. 2. Chief Engineer ..Member "NOTE : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.'	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION,

CENTRAL OFFICE

New Delhi-110 066, the 6th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/458.— WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Bangalore from the opration of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of exemption	CPFC's file No.
1.	M/s. Vishal Enterprises, 954—A, P.—B. Road Kakati Belgaum, Distt. 591113	KN/15030	1-11-94 to 31-10-97	2/14/95/KN/DLI
2.	M/s General Construction Company Manipal Karnataka—576119	KN/3557	1-10-93 to 30-9-96	6 (8) DLI/KN/96
3.	M/s. Manipal Industries Ltd, Manipal House, Manipal Karnataka-5776119 including its five branches	KN/3555	1-10-93 to 30-9-96	6 (9) DLI/KN/96
4.	M/s. N. S. A. M. First Grade Collage, Nitte	KN/12344	1-1-94 to 31-12-96	6(10)DLI/KN/96
5.	M/s. Western Roadways, C/o Manipal Industries P. O. Manipal, Karnataka-19	KN/3558	1-10-93 to 30-9-96	6(11)DLI/KN/96
6.	M/s. Naptha Resins & Chemicals Pvt. Ltd., 491 Phase-IV, Peenya Industrial Area, Bangalore-58.	KN/7258	1-12-94 to 30-11-96	2(19) 95/KN/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employee.

5. Whereas an employee' who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/lgal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 12th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/503.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, The Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Adress of the Establishment	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide which exemption was granted/Extended	Date of Expiry	Period for exemption	CPFC's File No.
1.	M/s Naresh Kumar & Co., 14B, Camac street, Calcutta-17, (alongwith nineteen branches)	WB/11252	2(1959)/DLI/Exemp/ 89/ Pt. I dt. 24-5-93	30-11-91	1-12-91 to 30-11-94	2(5075)/DLI/93
2.	M/s. Hindustan Paper Corpn. Ltd., 75/C, Park Street Calcutta-16, (alongwith 3 branches)	WB/25173	2(1959) DLI/Exam./ Pt. I, dt. 17-2-92	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/2239/89/DLI/93
3	M/s. Union Carbide India Ltd., 8, Middleton Street Calcutta, alongw th factory Sales Purchase & Group Office situated all over India	WB/5216	2/1959/DLI/Exam./ 89/Pt. I, dt. 21-3-90	24-11-94	25-11-94 to 24-11-97	2(205) DLI/78
4.	M/s. Joint Plant committee, 2/7, Sarat Bose Road, Calcutta (alongwith 6 branches)	WB/14014	2/1959/DLI/Exam/ 89/Pt. I, dt. 11-1-92	15-12-95	16-12-95 to 15-12-98	2(1514) DLI/96

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the sailient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 12th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/515.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No & Date of Govt. Notification vide Which exemption was granted/ extended	Date of expiry	Period for exemption	CPFC, File No.
1.	M/s Banara Engg. Co., 10 K.M. Stone, Artoni, Agra-7	UP/13756	2/1959/DLI/Exm/ 89/Pt. I, dt. 24-5-93	30-11-92	1-12-92 to 30-11-95	2(9074) DLI/UP/93
2.	Bharat Food India Ltd., Udai Singh Jain Road, Aligarh	UP/15221	2/1959/DLI/Exm-/ 89/Pt. I, dt. 13-5-93	31-7-92	1-8-92 to 31-7-95	2/9001/DLI/UP/93
3.	M/s U. P. State Textile Corpn. Ltd., Spinning Mills Naya Gaon, Jhansi	UP/6740	S-35014(79)84-FPF dt. 17-9-84	16-9-87	17-9-87 to 16-9-90 17-9-90 t 16-9-93 17-9-93 to 16-9-96	35(6) DLI/UP/96
4.	M/s. Darshan Agro Oils Ltd., Udai Singh Jain Road, Aligarh	UP/16502	2(1959)Exm/DLI/ 89/Pt. I, dt. 13-5-93	31-1-95	1-2-95 to 31-1-98	2(5008) DLI/UP/93

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance primia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shal ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipts of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH

Regional Provident Fund Commissioner

DAMODAR VALLEY CORPORATION

Calcutta, the 24th February 1997

No. 15/1/96.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 60 of the Damodar Velley Corporation Act, 1948 (14 of 1948), the Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Damodar Velley Corporation Service Regulations, published with the Notification of Damodar Velley Corporation No. 5 dated the 28th January, 1957, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Damodar Valley Corporation Service (Amendment) Regulation, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Damodar Valley Corporation Service Regulations :—

(a) In clause (7) of regulation 2 and in regulations 8, 14, 22, 26B, 89 and 92 :—

(i) for the word and figure "Class I" wherever they occur the word and letter "Group A" shall be substituted:

(ii) for the word and figures 'Class II", wherever they occur, the word and letter "Group B" shall be substituted, and

(iii) for the word and figures "Class III", wherever they occur the words and letters "Group 'C'" and Group 'D'" shall be substituted;

(b) for regulation 7, the following regulations shall be substituted, namely :—

"7, (1) The services under the Corporation shall be classified as follows :—

Group 'A'

— Post carrying pay, or the maximum pay, if it is in a time-scale, exceeding Rs. 3,999/- per month;

Group 'B'

— Posts other than those in Group 'A' carrying pay or the maximum pay if it is in a time scale, exceeding Rs. 1990/- per month;

Group 'C'

— Posts carrying pay or the minimum pay, if it is in a time-scale, exceeding Rs. 1,140/- per month but the maximum pay of which does not exceed Rs. 1990/- per month;

Group 'D'

— Posts carrying pay or a scale of pay the maximum of which does not exceed Rs. 1,140/- per month;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Corporation may include any

post or group of posts in a particular group according to the nature and duties of the posts irrespective of the pay attached to it."

(c) regulation 10,—

(i) in sub-regulation (1), for the word and figures "class III" the words and letters "Group C' and Group 'D'", shall be substituted:

(ii) In sub-regulation (3),—

(a) In clause (i),—for the word and figures "Class I", the word and letter "Group 'A'" shall be substituted;

(b) In the proviso to clause (i), for the word and figures "Rs. 2,000", the words and figures "Rs. 5,900" shall be substituted;

(c) in clause (ii), for the word and figures "Class II" the word and letter "Group 'B'" shall be substituted.

(d) in regulation 21,—

(i) for clause (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(a) Every employee, other than an employee of Group 'D' category shall retire from service on the afternoon of the last day of the month, in which he attains the age of 58 years:

Provided that this clause shall not apply to such of the Group 'C' employees, who are on the roll of the Corporation as on the date of commencement for the Damodar Valley Corporation Services (Amendment) Regulation 1996, in whose cases the date of retirement from service shall be the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years, subject to the condition that he holds the post of Group 'C' while attaining the age of 60 years.

(b) An employee of Group 'D' category shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years;

(ii) in clause (d), for the word and figure "Class I" in both the place where they occur, word and letter "Group 'A'" shall be substituted;

(e) In regulation 91, for the word and figures "Class II and III", the words and letters "Group 'B', Group 'C' and Group 'D'" shall be substituted.

J. D. AMBASTHA
Additional Secy.

CANTONMENT BOARD

Jammu, the 1997

No. 4/A/96-97.—Whereas a draft of certain bye-laws was published vide Cantonment Board Jammu notice No. 4/A/96-97 dated 20th May, 1996 as required by section 284 of the Cantonments Act. 1924 (2 of 1924) for inviting objections/suggestions till the expiry of a period of 30 days from the publication of that notice;

And whereas the said notice was put on Cantonment Board notice Board on 20th May, 1996;

And whereas no objections/suggestions have been received from the public to the proposed amendments;

And whereas the Central Govt. have duly approved to the said draft of the bye-laws as required by section 1 of section 24 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the said Act, the Jammu Cantonment Board makes the following bye-laws, namely :—

1. Short Title and Commencement :—

(1) These bye-laws may be called the Jammu Cantt. (Erection and Re-Erection of Buildings) amendment bye-laws 1995.

(2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Definitions :—In these Bye-laws,

(a) "dry latrine" means the latrine where night soil would be required to be removed manually of discharged into an open drain.

(b) "flush latrine" means a latrine where no manual removal of night soil will be involved and the process would be completely automatic/waterborne leading to disposal in an underground septic tank sewage.

(c) "basement" means any accommodation made vertically or horizontally below the ground level.

(d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Cantonment Act, 1924 shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition in Construction of Dry Latrines.

No person shall hereafter construct dry latrines in the Cantonment. All latrines in the Cantonment area which are presently of dry type will be converted into flush latrines within a period of one year of publication of these bye-laws.

4. In para 7(4) of the Jammu Cantonment (Erection and Re-erection of building) Bye-laws 1980 the following words are deleted :—

"Except where the water pressure is not adequate".

5. Construction of Basements :

No person shall construct basement in the Cantonment area without prior permission of the Cantonment Board. The basements of more than 2.5 mtrs. below the ground level will not be allowed. The basements will be constructed of RCC of the ratio of 1 : 2 : 4 with appropriate quantity of steel depending upon the design to be certified by a registered Architect or a registered Civil Engineer designer. There will be adequate ventilation facilities to the basement floor through openings of 20% of the area of the floor.

6. Penalty

If any person contravenes any of the provisions of bye-laws 3 and 5, he shall be punished with a fine of Rs. 1000/- besides making himself liable for demolition and closure of such dry latrines and basements.

J. C. UPADHYAY
Cantonment Executive Officer
Jammu

Principal Notification vide SRO No. 4/A/80-81/dated 2-8-1980 (DGDE File No. 12/1/C/DE/96).

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997